



## स्पीक-अप

एडवोकेसी गाइड

रोजमर्रा के सुद्धों को हल  
करना और सर्वश्रेष्ठ सलाहकार  
स्वयं बनना



# क्या आप एनडीआईएस का ऐक्सेस नहीं कर सकते हैं?

क्या आपने एनडीआईएस में आवेदन किया है और एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि आप पात्र नहीं हैं?

एनडीआईएस का ऐक्सेस करने में सक्षम होने के लिए आपको चाहिए कि आप आवश्यकतौर पर:

- 7 और 65 के बीच आयु वर्ग के हो, और
- ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखते हो या निवासी हो, और
- स्थायी और सार्थक विकलांगता के कारण सपोर्ट की आवश्यकता हो

अगर आपको लगता है कि एनडीआईएस का फैसला गलत है, तो आप यह कार्रवाई कर सकते हैं:

- एनडीआईएस को फिर से निर्णय लेने के लिए कहें आप नई जानकारी या सबूत प्रदान कर सकते हैं, या निर्णय की समीक्षा के लिए पूछ सकते हैं (3 महीने के भीतर)।
- फिर से आवेदन करें – ऐक्सेस पाने के लिए एक नया अनुरोध करें (3 महीने के बाद)।

### पहला कदम: देखें कि आपने अपनी विकलांगता के बारे में क्या जानकारी दी है

अक्सर लोग अपने एनडीआईएस आवेदन में असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांगता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी होती है तथा यह उनके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है।

इस बारे में सोचें कि आपकी विकलांगता आपके दैनिक जीवन के निम्नलिखित क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है और आपको क्या मदद चाहिए। क्या आपने प्रत्येक क्षेत्र में अपने सपोर्ट की जरूरतों के बारे में एनडीआईएस को पर्याप्त जानकारी और प्रमाण दिए हैं?

**गतिशीलता** - आप अपने घर या समुदाय में यहां-वहां कैसे जाते हैं

**संचार** - लिखित, लिखित या सांकेतिक भाषा में समझा जा रहा है, दूसरों को समझ रहा है और जरूरतों को व्यक्त करता है।

**सामाजिक संपर्क** - दोस्त बनाना और रखना, समुदाय के साथ बातचीत करना, विचारों और भावनाओं का सामना करना

**सीखना** - जानकारी को समझना और याद रखना, नई चीजें सीखना, अभ्यास करना और नए कौशल का उपयोग करना

**निजी स्वास्थ्य** - फुहारे में नहाना/स्नान करना, कपड़े पहनना, भोजन करना, शौचालय जाना, निजी स्वास्थ्य की देखभाल करना

**स्व-प्रबंधन** - दैनिक कार्य करना, निर्णय लेना और समस्याओं से निपटना और धन-दौलत संभालना

इसे चरण दर चरण पूरा करें

1. देखें कि आपने अपनी विकलांगता के बारे में क्या जानकारी दी है।

2. कोई व्यक्ति जो एनडीआईएस को नई या अधिक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ काम कर सकता है उससे बात करें। आपके एडवोकेट, मदद कर सकते हैं।



- अपनी सभी जरूरतों के बारे में सोचें। यदि आपको पहले से ही कुछ सहायता मिल रही है, तो क्या यह पर्याप्त है, या आपको विभिन्न क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता है?
- यदि आपको समर्थन नहीं मिला तो प्रभावों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, संचार की मदद के बिना, क्या आप खरीदारी करने, काम पर जाने, परिवहन पकड़ने या सामाजिक गतिविधियों में जाने में सक्षम होंगे?
- इस बारे में सोचें कि आपको अपने बुरे दिनों के साथ-साथ अपने अच्छे दिनों में क्या मदद चाहिए

**दूसरा चरण: किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो एनडीआईएस को नई या अधिक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ काम कर सके। आपके ऐडवोकेट, मदद कर सकते हैं।**

- अपने जीपी के साथ अपने मूल ऐक्सेस अनुरोध (आवेदन) में दी गई जानकारी को फिर से देखें ये पुस्तिकाएं आपके और आपके जीपी को आपकी जरूरत की जानकारी संकलित करने में मदद कर सकती हैं:
  - एनडीआईएस रोगी सूचना पुस्तिका
  - एनडीआईएस सामान्य अभ्यास टूलकिट
  - [www.qdn.org.au](http://www.qdn.org.au) (हमारे संसाधन)
- ऐडवोकेट या आपके सपोर्ट नेटवर्क से बात करें, या ये सेवाएं आपकी मदद करने में सक्षम हो सकती हैं:
  - क्वींसलैंड में, एनडीआईएस में प्रवेश करने वाले लोगों सहित, वित्त पोषित ऐडवोकेसी सेवाएं, विभिन्न प्रकार की ऐडवोकेसी सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। संगठनों की सूची के लिए [www.qld.gov.au/disability/legal-and-rights/advocacy](http://www.qld.gov.au/disability/legal-and-rights/advocacy) पर जाएं
  - विकलांगता नेटवर्क वाले क्वींसलैंडर्स एनडीआईएस की विकलांगता वाले लोगों की सहायता कर रहे हैं। **1300 363 783 पर संपर्क करें**। ई-मेल [targetedoutreach@qdn.org.au](mailto:targetedoutreach@qdn.org.au)। वैबसाइट [www.qdn.org.au](http://www.qdn.org.au)
  - क्वींसलैंड सरकार मूल्यांकन और रेफरल टीम (एआरटी), एनडीआईएस आवेदन प्रक्रिया सहित लोगों की मदद कर रही है। एआरटी पर संपर्क करें **1800 569 040**। ई-मेल [ARTEnquiries@communities.qld.gov.au](mailto:ARTEnquiries@communities.qld.gov.au)। वैबसाइट: [www.qld.gov.au/disabilityoutreach](http://www.qld.gov.au/disabilityoutreach)



- विकलांगता संगठनों और सहायता समूहों से उन सूचनाओं के बारे में सलाह लें, जो आपके ऐक्सेस अनुरोध का समर्थन कर सकती हैं।
- सुनिश्चित करें कि आप एनडीआईएस को दी गई सभी सूचनाओं की प्रतियां अपने पास रखें। एनडीआईएस में आपके द्वारा की गई किसी भी कॉल की एक डायरी रखें। यदि अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है, तो एनडीआईएस को उनसे किसी भी चर्चा में आपकी मदद करने के लिए योग्य दुभाषिया के लिए कहें।
- एनडीआईएस वेबसाइट पर अपनी विकलांगता के प्रमाण प्रदान करने और किस प्रकार आंतरिक समीक्षा के निर्णय का अनुरोध करने के बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध है। [www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au)

**आगे की कार्यवाही**

यदि आपके ऐक्सेस संबंधी निर्णय की समीक्षा करने की प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर आपत्ति हैं, तो आप एनडीआईएस से शिकायत कर सकते हैं [feedback@ndis.gov.au](mailto:feedback@ndis.gov.au)

यदि एनडीआईएस तक आपकी ऐक्सेस अभी भी नामंजूर है, और आपको लगता है कि यह गलत है तो प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण के समक्ष एनडीआईएस के निर्णय की समीक्षा करवाई जा सकती है।

ऐसे ऐडवोकेसी संगठन हैं जो एनडीआईएस अपील के समर्थन में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप के पास नज़दीकी संगठन खोजने के लिए

<https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap> पर जाएं

आप एनडीआईएस अपील के लिए क्वींसलैंड कानूनी सहायता से भी संपर्क कर सकते हैं।

**1300 65 11 88** पर संपर्क करें, वैबसाइट [www.legalaid.qld.gov.au](http://www.legalaid.qld.gov.au)

[www.adaustralia.com.au/speak-up](http://www.adaustralia.com.au/speak-up)



यह गाइड ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवा विभाग द्वारा वित्त पोषित है। अधिक जानकारी के लिए [WWW.DSS.GOV.AU](http://WWW.DSS.GOV.AU) पर जाएं

एडीए ऑस्ट्रेलिया इस भूमि के पारंपरिक संरक्षकों को स्वीकार करता है और अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों का सम्मान करता है।



संपर्क करें  
एडीए ऑस्ट्रेलिया

मुफ्त कॉल: 1800 818 338  
(07) 3637 6000

[www.adaustralia.com.au](http://www.adaustralia.com.au)  
[info@adaustralia.com.au](mailto:info@adaustralia.com.au)



दुभाषिया फोन: 131 450

